न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 28/2015 प्रार्थना पत्र (अपील सं. 8/2015)

1. श्रीमती सुन्दर बाई पत्नी बनाम लक्ष्मीनारायण वर्मा , निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी धर्मीचन्द गुर्जर निवासी गोपालपुरा (बोरेला)
2. देवी सिंह पुत्र नारायण सिंह सांचारों निवासी आसीन्द
3. पवन कुमार मीणा अधिशाषी अधिकारी , नगर पालिका आसीन्द
4. रमेश चन्द्र माहेश्वरी , तहसीलदार आसीन्द
5. एन.एल. राठी , उपखण्ड अधिकारी , आसीन्द जिला भीलवाडा

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश जैन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दुदाराम कुमावत अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 03 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) जा0दी0 बमामले प्रकरण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर एवं अन्य निर्णय दिनांक 19.05.2015

निर्णय

दिनांक 19.01.2017

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) जा0दी0 बमामले प्रकरण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर पारित आदेश दिनांक 19.05.2015 के निर्देशन में पालना नहीं किये जाने के संबंध में प्रस्तुत की किया है । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.07.2015 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया । प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द के बमामले सं. 130/2012–13 दिनांक 05.09.2013 के आदेश के विरूद्व अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी सं. 01 लगायत 03 के विरूद्व न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष पेश किया , जिसके प्ररकण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका कायम हुए । न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 को निर्णय पारित किया कि "

विवादित मामले में मुस्तकित बिन्दु से मौके की नपती और जांच करवाई जावे । यदि बाद जांच रिपोर्ट आराजी नम्बर 3914/1 में मौके पर विवादित पटटे की भूमि आ रही हो तो उसे निरस्त कर आराजी नम्बर 3914/2 की भूमि मे से नगर पालिका आसीन्द प्रत्यर्थी सं. 02 को पटटा जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करें । साथ ही यह भी विनिश्चय दिया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है । अतः उक्त प्रकरण में होने वाले निर्णय के अनुसार पालना सुनिशिचित की जावे ।" प्रार्थीया द्वारा विपक्षी सं. 02 लगायत 05 के पास कई बार व्यक्तिगत उपस्थित होकर न्यायालय के निर्णय की प्रति दिखायी व व बिन्दु से नपती करने हेतु निवेदन किया व न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु निवेदन किया , लेकिन विपक्षी सं. 03 लगायत 05 द्वारा प्रार्थीया को उसकी भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से नपती करने से इंकार कर दिया व विपक्षी सं. 03 ने कहा कि मैं किसी के आदेश को नहीं मानता हूं । यहां पर हमारी मनमर्जी चलेगी व मैं विपक्षी सं. 01 व 02 को निर्माण स्वीकृति भी जारी कर दूगां । विपक्षी सं. 04 तहसीलदार द्वारा कहा गया कि मैं मामलें में पक्षकार नहीं हूं , मैं तुम्हारी भूमि का नपती नहीं करूंगा । मेरे मामले में दूसरी कोर्ट पांबद करने वाली कौन होती है । मैं चाहूं तो तुम्हारा दावा अभी खारिज कर देता हूं । इस प्रकार से विपक्षी सं. 03 लगायत 05 विपक्षी सं. 01 एवं 02 से मिलीभगती कर उसे नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग कर रहे है व न्यायालय आदेश की खुले रूप से धज्जीयां उडा रहे हैं । विपक्षीगण का उक्त कृत्य न्यायालय आदेश की अवहेलना में आता है तथा उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थीया का शपथ पत्र पेश है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उनकी चल अचल सम्पत्ति को कुर्क की जाने का आदेश प्रदान करावे व बमामले प्रकरण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर एवं अन्य निर्णय दिनांक 19.05.2015 की पालना करायी जाने का आदेश प्रदान करावें ।

विपक्षी सं. 03 की ओर से दिनांक 3.11.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी सं. 05 की ओर से दिनांक 20.11.2015 को जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसमें बताया गया कि प्रार्थीया द्वारा भूमि विवाद बाबत् उपखण्ड

न्यायालय आसीन्द में भी प्रकरण विचाराधीन है । जिसमें संबंधित पक्षकारान को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावेगा । इस प्रकरण में झूठे तथ्य अंकित किये गये है जो सरासर गलत है । प्रकरण सारहीन होने से खारीज कराना फरमावें ।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द के बमामले सं. 130/2012–13 दिनांक 05.09.2013 के आदेश के विरूद्व अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी सं. 01 लगायत 03 के विरूद्व न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष पेश किया , जिसके प्ररकण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका कायम हुए । न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2015 को निर्णय पारित किया कि " विवादित मामले में मुस्तकित बिन्दू से मौके की नपती और जांच करवाई जावे । यदि बाद जांच रिपोर्ट आराजी नम्बर 3914/1 में मौके पर विवादित पटटे की भूमि आ रही हो तो उसे निरस्त कर आराजी नम्बर 3914/2 की भूमि मे से नगर पालिका आसीन्द प्रत्यर्थी सं. 02 को पटटा जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करें । साथ ही यह भी विनिश्चय दिया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है । अतः उक्त प्रकरण में होने वाले निर्णय के अनुसार पालना सुनिशिचित की जावे ।" प्रार्थीया द्वारा विपक्षी सं. 02 लगायत 05 के पास कई बार व्यक्तिगत उपस्थित होकर न्यायालय के निर्णय की प्रति दिखायी व व बिन्दु से नपती करने हेतु निवेदन किया व न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु निवेदन किया , लेकिन विपक्षी सं. 03 लगायत 05 द्वारा प्रार्थीया को उसकी भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से नपती करने से इंकार कर दिया व विपक्षी सं. 03 ने कहा कि मैं किसी के आदेश को नहीं मानता हूं । यहां पर हमारी मनमर्जी चलेगी व मैं विपक्षी सं. 01 व 02 को निर्माण स्वीकृति भी जारी कर दूगां । विपक्षीगण का उक्त कृत्य न्यायालय आदेश की अवहेलना में आता है तथा उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है । प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थीया का शपथ पत्र पेश है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उनकी चल अचल सम्पत्ति को कुर्क की जाने का आदेश प्रदान करावे व बमामले प्रकरण सं. 08/2015 अपील नगर पालिका श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर एवं अन्य निर्णय दिनांक 19.05.2015 की पालना करायी जाने का आदेश प्रदान करावें ।

विपक्षी सं. 03 पवन कुमार मीणा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका आसीन्द ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी सं. 03 द्वारा अपने यहां

विभागीय पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी व दिनांक 30.06.2015 को ही न्यायालय निर्णय का विश्लेषण कर आगामी कार्यवाही विवरण हेतु पेरा 09 में आदेश दिया गया । विपक्षी सं. 03 पर झूठे निराधार व कपोलकल्पित आरोप लगाये है । विपक्षी सं. 01 व 02 को विपक्षी सं. 03 द्वारा कोई निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । विपक्षी सं. 03 द्वारा अपने विभागीय कार्यवाही विवरण के पैरा 10 के अनुसार विवादित स्थल का दिनांक 01.07.2015 को ले आउट प्लान तैयार कर पेश करवाया गया , जिसमें तथा रिपोर्ट में आयी मौके की स्थिति का विश्लेषण कर न्यायालय के निर्णय अनुसार विवादित पटटे को निरस्त कर आराजी नं. 3914/2 की भूमि में विपक्षी सं. 2 को पटटा जारी करने हेतु दिनांक 15.09.2015 को आदेशित किया गया तथा दिनांक 29.9.2015 को नगर पालिका आसीन्द के जे.ई.एन. व ए.आर.आई. द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रकरण उपखण्ड न्यायालय आसीन्द के यहां विचाराधीन है । जिसमें विवादित भूमि की पत्थरगढी करने बाबत नोटिस दिया गया । दिनांक 27.01.2016 को विपक्षी सं. 03 व उसके प्रतिनिधि मौके पर गये व वहां इन्तजार किया । वहां पर न तो प्रार्थीया उपस्थित मिली, न ही पटवारी , भू.अ.नि. मिले । बाद में भू.अ.नि. से दूरभाष पर बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त पत्थरगढी प्रकरण में पत्थरगढी नहीं की जा सकती है । इसपर संभागीय आयुक्त से स्थगन आ चुका है । इस संदर्भ में विपक्षी सं. 03 द्वारा हर पहलु को ध्यान में रखकर उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । प्रार्थीया द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट किया जा रहा है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र हेवी कोस्ट पर खारिज किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भीलवाडा के प्रकरण सं. 8/2015 अपील नगर पालिका उनवान श्रीमती सुन्दर बाई वर्मा बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर वगैरह में निर्णय दिनांक 19.05.2015 के संबंध में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2क) जा0दी0 का विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। निर्णय दिनांक 19.05.2015 में अपीलार्थीया की अपील खारिज कर विवादित मामलें में मुस्तकिल बिन्दु से मौके की नपती और जांच करवाई जाने के आदेश दिये गये । यदि बाद जांच रिपोर्ट आराजी नं. 3914/1 में मौके पर विवादित पटटे की भूमि आ रही हो तो उसे निरस्त कर आराजी नं. 3914/2 की भूमि में से नगर पालिका आसीन्द प्रत्यर्थी

सं. 2 को पटटा जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करें । साथ ही यह भी विनिश्चय दिया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है । अतः उक्त प्रकरण में होने वाले निर्णय के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी । चूंकि वादग्रस्त आराजी 3914/2 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में प्रकरण विचाराधीन है । उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् ही निर्णय दिनांक 19.5.2015 की पालना विपक्षीगण द्वारा की जा सकेगी । उक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण सं. 8/2015 निर्णय दिनांक 19.05.2015 की अवहेलना नहीं होना पाया जाता है । जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) जा0दी0 स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है । अत एव –

-: आदेशः -

प्रकरण सं. 8/2015 अपील नगर पालिका श्रीमती सुन्दर बाई बनाम श्रीमती आशा देवी गुर्जर व अन्य निर्णय दिनांक 19.05.2015 की अवहेलना नहीं होना पाया जाता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (क) जा0दी0 सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/01/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा